बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग
-:: अधिसूचना ::-

संoसंo-सoकाo निगo-55/2023...2577.../ श्रीमती कृष्णा सिंह, तत्कालीन बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, कटैया, गोपालगंज सम्प्रति वारिसनगर, समस्तीपुर के विरुद्ध जिला पदाधिकारी, गोपालगंज के पत्रांक-1404 दिनांक-03.08.2023 द्वारा आरोप पत्र गठित कर उपलब्ध कराया गया। उक्त आरोप पत्र में श्रीमती सिंह के विरुद्ध कई मामलों में स्पष्टीकरण की मॉग किये जाने पर स्पष्टीकरण उपलब्ध नहीं कराने, निरीक्षण के क्रम में अनियमितता पाये जाने पर कोई कार्रवाई नहीं करने, समय-समय पर विभिन्न बैठकों में दिये गये निदेश के बावजूद भी प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराने, कार्यशैली में कोई सुधार नहीं होने आदि का आरोप प्रतिवेदित किया गया।

जिला पदाधिकारी, गोपालगंज से प्राप्त आरोप पत्र में प्रतिवेदित आरोपों एवं साक्ष्यों की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गई एवं समीक्षोपरांत अवचार या कदाचार के लांछनों के आधार पर विहित प्रपत्र में गठित आरोप पत्र को अनुमोदित करते हुए विभागीय पत्रांक-5791 दिनांक-13.11.2023 द्वारा लिखित अभिकथन की मांग किये जाने पर इनके पत्रांक-729 दिनांक 30.11.2023 से प्राप्त लिखित अभिकथन की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गयी एवं समीक्षोपरांत इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया। जिसके आलोक में विभागीय संकल्प संख्या-2678, दिनांक-12.06.2024 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली,2005 के नियम-16 एवं 17 के अंतर्गत श्रीमती सिंह के विरूद्ध उक्त आरोपों की जांच के लिए विभागीय कार्यवाही संचालित किया गया। जिसमें श्रीमती सिंह के विरूद्ध इस विभागीय कार्यवाही के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली,2005 के नियम-17(2)(5)(क) एवं (ग) के अन्तर्गत श्री विजयन्त, उप सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी तथा प्रशाखा पदाधिकारी-2, समाज कल्याण विभाग को उपस्थापन पदाधिकारी/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया। इसी क्रम में प्रशाखा पदाधिकारी-02 की सेवा समाप्त हो जाने के कारण विभागीय आदेश संख्या-6678, दिनांक-17.12.2024 द्वारा श्री राय अमरनाथ सहाय, अवर सचिव, समाज कल्याण विभाग को उपस्थापन/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

संचालन पदाधिकारी द्वारा विभागीय कार्यवाही पूर्ण कर अपने पत्रांक-2622, दिनांक-16.04.2025 द्वारा जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया, जिसमें आरोप संख्या- 06 एवं 11 को आंशिक प्रमाणित तथा आरोप संख्या-01, 02, 03, 04 ,05, 07, 08, 09, 10 एवं 12 को अप्रमाणित माना गया। आंशिक रूप से प्रमाणित आरोपों के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-18(3) के प्रावधानों के तहत विभागीय पत्रांक-6647, दिनांक-10.09.2025 द्वारा आरोपित पदाधिकारी से लिखित अभ्यावेदन/ निवेदन की मांग किये जाने पर इनके द्वारा अपने पत्रांक-677, दिनांक-26.09.2025 के माध्यम से लिखित अभ्यावेदन/ निवेदन विभाग को उपलब्ध कराया गया।

श्रीमती सिंह के विरूद्ध आरोप पत्र में लगाये गये आरोप, जाँच पदाधिकारी का जाँच प्रतिवेदन में दिया गया निष्कर्ष एवं आंशिक प्रमाणित आरोपों के आलोक में आरोपित पदाधिकारी का लिखित अभ्यावेदन की समीक्षा की गयी तथा समीक्षोपरांत पाया गया कि पोषाहार अभिश्रव प्रतिमाह जिला प्रोग्राम पदाधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित कराये जाने का प्रावधान है, लेकिन श्रीमती सिंह द्वारा अगस्त 2022 से मार्च 2023 तक बगैर प्रतिहस्ताक्षर के पोषाहार राशि की निकासी की गई। इनका यह कृत्य वित्तीय कार्यो में अनियमितता एवं लापरवाही का द्योतक है। ग्रामीण जनता एवं अन्य परिवादियों से प्राप्त परिवाद में वरीय पदाधिकारियों के निदेश के बावजूद स्पष्ट जांच प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराया जाना एवं टाल-मटोल की नीति इनके द्वारा अपनाया गया है। उपरोक्त वस्तुस्थिति के आलोक में अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्रीमती सिंह के विरूद्ध चेतावनी एवं एक वेतनवृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से अवरूद्ध करने का निर्णय लिया गया है।

अत: उक्त परिप्रेक्ष्य में श्रीमती कृष्णा सिंह, तत्कालीन बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, कटैया, गोपालगंज सम्प्रति वारिसनगर, समस्तीपुर को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एव अपील) नियमावली, 2005 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम-14 (v) के प्रावधानों के तहत एक वेतनवृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से अवरूद्ध करने एवं नियम-14 (स्पष्टीकरण-3) के तहत चेतावनी की शास्ति अधिरोपित एवं संसूचित की जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
26/5/26
(योगेश कुमार सागर)
अपर सचिव
समाज कल्याण विभाग।

ज्ञापांक :- स0क० निग0-139/2022- 2577 पटना-15 दिनाक :- 27.5.2026

प्रतिलिपि :- ई-गजट, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी०डी० एवं हार्ड कॉपी के साथ राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

26/5/26

अपर सचिव

समाज कल्याण विभाग।

ईमेल/ निबंधित

ज्ञापांक :- स0क० निग0-139/2022- 2577 पटना-15 दिनांक:-

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त(वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/ प्रमण्डलीय आयुक्त, सारण/ दरभंगा/ निदेशक, आई०सी०डी०एस० निदेशालय, बिहार, पटना/ जिला पदाधिकारी, गोपालगंज/ समस्तीपुर/ जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, गोपालगंज/ समस्तीपुर, माननीय मंत्री, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/ अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण विभाग के प्रधान आप्त सचिव/ उप सचिव (स्थापना), समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना/ विभागीय आई०टी० मैनेजर (अपलोड हेतु), श्रीमती कृष्णा सिंह, तत्कालीन बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, कटैया, गोपालगंज सम्प्रति वारिसनगर, समस्तीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

26/5/26

अपर सचिव

समाज कल्याण विभाग।